

HIGH COURT OF MADHYA PRADESH : JABALPUR

Endt. No. B/5401
II-15-18/2001

Jabalpur, dated 11th November, 2022

Copy to the notifications of the Government of Madhya Pradesh F.No. 4348/21-B(1)/2022, Bhopal, dated 11.11.2022 and F.No. 4349/21-B(1)/2022, Bhopal, dated 11.11.2022 issued as per the provisions of Section 5 of the Gram Nyayalayas Act, 2008 (No. 4 of 2009) is forwarded to ;

1. Registrar Cum PPS of Honourable Chief Justice for kind information of His Lordship;
2. The Registrar General, the Principal Registrar (Judicial), the Principal Registrar (Vigilance) and the Principal Registrar (Examination & ILR) High Court of Madhya Pradesh, Jabalpur for kind information and necessary action;
3. The Principal District and Sessions Judge Chhatarpur and Sheopur for kind information and necessary action with request that the same be served on the concerned Judges also;
4. District Judge (Inspection), Jabalpur, Indore and Gwalior for information and necessary action;
5. The Principal Registrar, Bench at Indore and Gwalior High Court of Madhya Pradesh, Jabalpur for information;
6. The Director, Madhya Pradesh State Judicial Academy, Jabalpur for information;
7. The Member Secretary, Madhya Pradesh State Legal Services Authority, High Court of Madhya Pradesh, Jabalpur for information;
8. The Registrar (Judicial-I), (Judicial-II), (Administration), (Vigilance), (Inspection & Litigation), (Examination and Labour Judiciary), Registrar (M.) (Confidential) for information;
9. The Joint Registrar (Protocol) and the Administrative Officer Checker Section High Court of Madhya Pradesh, Jabalpur for information.


(VIVEK SAXENA)

REGISTRAR (District Establishment)

मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 11/11/2022

फा. क्रमांक 4348/21-ब(एक)/2022, ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008 (2009 का 4) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के परामर्श से, एतद्वारा, इस विभाग की अधिसूचना फा.क्रमांक 17(ई)43-2009-2251-इक्कीस-ब(एक)/13, दिनांक 10 मई, 2013 जो मध्यप्रदेश राजपत्र, भाग-1 में दिनांक 24 मई 2013 को प्रकाशित की गई थी, में निम्नलिखित और संशोधन करता है, अर्थात्:-

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, सारणी में अनुक्रमांक 16 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्:-

सारणी

क्र.	न्यायाधिकारी का नाम	पदस्थापना का स्थल	सिविल जिले का नाम	मध्यवर्ती स्तर की पंचायत के लिए ग्राम न्यायालय का नाम	ग्राम न्यायालय के मुख्यालय का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"16.	श्री दीपक चौधरी, द्वितीय सिविल न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड, छतरपुर	छतरपुर	छतरपुर	छतरपुर	छतरपुर ।"।

NOTIFICATION

F.No. 4348/21-B(1)/2022,- In exercise of the powers conferred by Section 5 of the Gram Nyayalayas Act, 2008 (No.4 of 2009), the State Government, in Consultation with the High Court of Madhya Pradesh, hereby, makes the following further amendment in this department's Notification F.No. 17(E) 43-2009-2251-XXI-B(I) /13, dated 10th May, 2013 which was published in the Madhya Pradesh Gazette, Part-I, dated 24th May, 2013, Namely:-

AMENDMENT

In the said notification, in the table, for serial number 16 and entries relating thereto, the following serial number and entries relating thereto shall be substituted, namely :-

A.O. Chatur
11.11.22

//2//

TABLE

S.No	Name of Nyayadhikari	Place of Posting	Name of Civil District	Name of Gram Nyayalaya for Panchayat at Intermediate level	Name of Headquarter of Gram Nyayalaya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
16.	Shri Deepak Choudhary, II nd Civil Judge Senior Division, Chhatarpur.	Chhatarpur	Chhatarpur	Chhatarpur	Chhatarpur..".

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

(बी.के. द्विवेदी)
प्रमुख सचिव,


मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

पृ. क्र. 4348 / 21-ब(एक) / 2022,

भोपाल, दिनांक 11 / 11 / 2022

प्रतिलिपि:-

1. रजिस्ट्रार जनरल, म.प्र. उच्च न्यायालय, जबलपुर, के फेक्स पत्र क्रमांक A/3615/दो-15-18/01, संशोधन, दिनांक 16.09.2022 के संदर्भ में,
2. उप नियंत्रक, शासन केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु (म.प्र. राजपत्र - भाग एक) में प्रकाशित किये जाने हेतु प्रेषित।
() केवल मुद्रणालय हेतु।
3. शाखा प्रभारी, आय.टी.शाखा, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल की ओर अधिसूचना की प्रति नेट पर अपलोड करने बाबत प्रेषित।


७ (उमेश पाण्डेव) २

सचिव,

मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 11/11/2022

फा. क्रमांक 4349/21-ब(एक)/2022, ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008 (2009 का 4) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के परामर्श से, एतद्वारा, इस विभाग की अधिसूचना फा.क्रमांक 17(ई) 43-2009-2251-इक्कीस-ब(एक)/13, दिनांक 10 मई, 2013 जो मध्यप्रदेश राजपत्र, भाग-1 में दिनांक 24 मई 2013 को प्रकाशित की गई थी, में निम्नलिखित और संशोधन करता है, अर्थात्:-

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, सारणी में अनुक्रमांक 72 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्:-

सारणी

क्र.	न्यायाधिकारी का नाम	पदस्थापना का स्थल	सिविल जिले का नाम	मध्यवर्ती स्तर की पंचायत के लि ग्राम न्यायालय का नाम	ग्राम न्यायालय के मुख्यालय का नाम
"72.	श्री सोहन लाल भगोरा, प्रथम व्यवहार नयायाधीश के द्वितीय अतिरिक्त नयायाधीश, कनिष्ठ खण्ड, श्योपुर	श्योपुर	श्योपुर	श्योपुर	श्योपुर।"।

NOTIFICATION

F.No. 4349/21-B(1)/2022,- In exercise of the powers conferred by Section 5 of the Gram Nyayalayas Act, 2008 (No.4 of 2009), the State Government, in Consultation with the High Court of Madhya Pradesh, hereby, makes the following further amendment in this department's Notification F.No. 17(E) 43-2009-2251-XXI-B(I) /13, dated 10th May, 2013 which was published in the Madhya Pradesh Gazette, Part-I, dated 24th May, 2013, Namely:-

AMENDMENT

In the said notification, in the table, for serial numbers 72 and entries relating thereto, the following serial number and entries relating thereto shall be substituted, namely :-

A. O. Cheeku
11.11.22

//2//

TABLE

S.No	Name of Nyayadhikari	Place of Posting	Name of Civil District	Name of Gram Nyayalaya for Panchayat at Intermediate level	Name of Headquarter of Gram Nyayalaya
(1)	(2)	(3)	(4)		
"72.	Shri Sohan Lal Bhagora, II nd Additional Judge to 1 st Civil Judge Junior Division, Sheopur.	Sheopur	Sheopur	Sheopur	Sheopur."

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

(बी.के. द्विवेदी)

प्रमुख सचिव,

मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 11/11/2022

पृ. क्र. 4349/21-ब(एक)/2022,

प्रतिलिपि:-

1. रजिस्ट्रार जनरल, म.प्र. उच्च न्यायालय, जबलपुर, के फेक्स पत्र क्रमांक C/3566/दो-15-18/01, संशोधन, दिनांक 26.07.2022 के संदर्भ में,
2. उप नियंत्रक, शासन केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु (म.प्र. राजपत्र - भाग एक) में प्रकाशित किये जाने हेतु प्रेषित।
() केवल मुद्रणालय हेतु।
3. शाखा प्रभारी, आय.टी.शाखा, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल की ओर अधिसूचना की प्रति नेट पर अपलोड करने बाबत प्रेषित।

उमेश पाण्डेव

सचिव,

मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग